मद संख्या ....2..........

प्रेस - नोट

विषयः अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 15.05.2025 में की गई संस्तुति पर मा0 मंत्रि परिषद का अनुमोदन प्रदान किए जाने विषयक।

इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 15-05-2025 में मेसर्स पसवारा पेपर्स लि0 की जिला मेरठ (पश्चिमांचल क्षेत्र) में स्थापित को दिनांक 1.4.2021 से 30.6.2021 की अवधि हेतु प्रतिपूर्ति के प्रकरण पर विचार किया गया।

2- प्रश्नगत इकाई को दिनांक 01.04.2021 से 30.6.2021 की अवधि हेतु कम्पनी द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अंतर्गत निम्न विवरण के अनुसार रू0 15015711/- का भुगतान पूर्व में मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त किया गया:-

(राशि रु0 में)

कंपनी द्वारा स्वतंत्र अभिलेखों के आधार पर प्रस्तुत क्लेम		**Base Turnover के आधार पर processed क्लेम**		**भुगतान की गई राशि ***
जमा की गई SGST	**जमा की गई SGST का 80%**	**जमा की गई SGST**	**जमा की गई SGST का 80%**	
1,87,69,639	1,50,15,711	2,69,78,683	2,15,82,946	1,50,15,711

3- कम्पनी ने पुनः अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अंतर्गत प्रश्नगत अवधि दिनांक 01.04.2021 से 30.06.2021 हेतु पुनरीक्षित क्लेम रु0 65,67,235/- {रू०2,15,82,946 -1,50,15,711= 65,67,235/-} की प्रतिपूर्ति पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

कुल देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक खर्चों के रूप में 1 प्रतिशत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी

इम्पावर्ड कमेटी द्वारा उपर्युक्तानुसार की गई संस्तुति पर मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

मद संख्या ......3.........

प्रेस - नोट

विषयःऔद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित इम्पावर्ड कमेटी की दिनांक 15 मई, 2025 को सम्पन्न बैठक में की गई संस्तुतियों पर अनुमोदन प्राप्त किये जाने के संबंध में।

1- इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 15-05-2025 में निम्न प्रस्तावों पर विचार किया गया:-

(1) मेसर्स के0आर0 पल्प एंड पेपर्स लि0, जिला शाहजहाँपुर (पश्चिमांचल क्षेत्र) को सुविधाएं वितरित करने हेतु प्रस्ताव।

(2) मेसर्स बृंदावन एग्रो इंडस्ट्रीज़ (प्रा0) लि0, जिला मथुरा (पश्चिमांचल क्षेत्र) को सुविधाएं वितरित करने हेतु प्रस्ताव।

2- मेसर्स के0आर0 पल्प एंड पेपर्स लि0, जिला शाहजहाँपुर (पश्चिमांचल क्षेत्र) को वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 की अवधि के लिये सुविधाओं हेतु रू. 56,39,785.00 की धनराशि नियमों एवं शर्तों के अधीन वितरित किये जाने की संस्तुति की गई।

3- मेसर्स बृंदावन एग्रो इंडस्ट्रीज़ (प्रा0) लि0, जिला मथुरा (पश्चिमांचल क्षेत्र) को दिनांक 01.4.2023 से 30.09.2024 की अवधि के लिये सुविधाओं हेतु रू. 17,06,26,256 की धनराशि नियमों एवं शर्तों के अधीन वितरित किये जाने की संस्तुति की गई।

4- कुल देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक खर्चों के रूप में 1.5 प्रतिशत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी।

5- प्रश्नगत कम्पनियों को सुविधाओं के वितरण हेतु यह प्रथम प्रस्ताव है, अतः उपर्युक्तानुसार इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

....

मद संख्या- 4

प्रेस नोट

विषय- अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन-2.0 (अमृत-2.0) योजनान्तर्गत जनपद-कानपुर के नगर निगम कानपुर में पेयजल योजना के ईस्ट एवं साउथ सर्विस डिस्ट्रिक्ट हेतु पाइप लाइन विस्तार से संबंधित प्रायोजना एवं व्यय वित्त समिति द्वारा उसकी अनुमोदित लागत रू0 31678.88 लाख (जी0एस0टी एवं सेंटेज सहित) के व्यय के प्रस्ताव पर अनुमोदन के संबंध में।

अमृत-2.0 योजनान्तर्गत जनपद-कानपुर के नगर निगम कानपुर में पेयजल योजना से ईस्ट एवं साउथ सर्विस डिस्ट्रिक्ट में निवासित शत-प्रतिशत जन मानस को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु प्रश्नगत परियोजना तैयार की गयी है।

अमृत-2.0 योजनान्तर्गत जनपद-कानपुर के नगर निगम कानपुर में पेयजल योजना के ईस्ट एवं साउथ सर्विस डिस्ट्रिक्ट हेतु पाइप लाइन विस्तार से संबंधित प्रायोजना तथा व्यय वित्त समिति द्वारा उसकी अनुमोदित लागत रू0 31678.88 लाख (जी0एस0टी0 एवं सेन्टेज सहित) के व्यय के प्रस्ताव पर मा0 मंत्रि-परिषद् का अनुमोदन निवेदित है।

अमृत-2.0 योजनान्तर्गत जनपद-कानपुर के नगर निगम कानपुर में पेयजल योजना के ईस्ट के साउथ सर्विस डिस्ट्रिक्ट हेतु पाइप लाइन विस्तार से संबंधित प्रायोजना का व्यय-वित्त समिति द्वारा रूपये रू0 31678.88 लाख (जी0एस0टी0 एवं सेन्टेज सहित) का अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त अनुमोदित लागत में से भारत सरकार का रूपये 7610.32 लाख, राज्य सरकार का रूपये 18264.77 लाख तथा निकाय का अंश रूपये 4566.19 लाख सम्मिलित है। उक्त अनुमोदित लागत में रूपये 1237.60 लाख सेंटेज का व्यय भार जिसे राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जाना है।

<u>प्रश्नगत परियोजना से होने वाले लाभ:-</u>

प्रश्नगत योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने के उपरान्त जनपद-कानपुर नगर पेयजल योजना से ईस्ट एवं साउथ सर्विस डिस्ट्रिक्ट में निवासित शत-प्रतिशत जन मानस को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किया जायेगा तथा जल जनित रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। उल्लेखनीय है कि विषयगत परियोजना से कानपुर नगर के अंतर्गत 33 वार्ड लाभान्वित होंगे।

मद संख्या- 5

प्रेस नोट

विषय- अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन-2.0 (अमृत-2.0) योजनान्तर्गत जनपद-बरेली के नगर निगम बरेली में पेयजल पुनर्गठन योजना फेज-1 से संबंधित प्रायोजना एवं व्यय वित्त समिति द्वारा उसकी अनुमोदित लागत रू0 26595.46 लाख (जी0एस0टी एवं सेंटेज सहित) के व्यय के प्रस्ताव पर अनुमोदन के संबंध में।

अमृत-2.0 योजनान्तर्गत जनपद-बरेली के नगर निगम बरेली में पेयजल पुनर्गठन योजना फेज-1 का कार्य कराये जाने हेतु प्रश्नगत परियोजना तैयार की गयी है।

अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन-2.0 (अमृत-2.0) योजनान्तर्गत जनपद-बरेली के नगर निगम बरेली में पेयजल पुनर्गठन योजना फेज-1 से संबंधित प्रायोजना तथा व्यय वित्त समिति द्वारा उसकी अनुमोदित लागत रू0 26595.46 लाख (जी0एस0टी0 एवं सेन्टेज सहित) के व्यय के प्रस्ताव पर मा0 मंत्रि-परिषद् का अनुमोदन निवेदित है।

अमृत-2.0 योजनान्तर्गत जनपद-बरेली के नगर निगम बरेली में पेयजल पुनर्गठन योजना फेज-1 से संबंधित प्रायोजना का व्यय वित्त समिति द्वारा रू0 26595.46 लाख (जी0एस0टी एवं सेंटेज सहित) का अनुमोदन प्रदान किया गया। भारत सरकार का रूपये 8530.96 लाख, राज्य सरकार का रूपये 14504.95 लाख तथा निकाय का अंश रूपये 2559.55 लाख सम्मिलित है। उक्त अनुमोदित लागत में रूपये 1000.00 लाख सेंटेज सम्मिलित है, जिसको राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जाना है।

प्रश्नगत परियोजना से होने वाले लाभः-

प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन से नगर निगम बरेली लगभग 92 प्रतिशत जनसंख्या पेयजलापूर्ति से आच्छादित हो जायेगा तथा इससे लगभग 09 लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी।

मद संख्या - 7

प्रेस-नोट

विषय : जनपद कानपुर नगर स्थित 14/112, सिविल लाइन दि जार्जिना मैकराबर्ट मेमोरियल हॉस्पिटल की 45000 वर्ग मी0 नजूल भूमि को मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल स्थापित किये जाने हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

1. चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा रिट संख्या-13256/2021 (रिट-ए) विजय बहादुर व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.2021 के अनुपालन में जनपद कानपुर स्थित 14/112, सिविल लाइन दि जार्जिना मैकराबर्ट मेमोरियल हॉस्पिटल की 45000 वर्ग मी0 नजूल भूमि को पी0पी0पी0 के आधार पर मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल सथापित किये जाने हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर के पक्ष में हस्तान्तरित किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया।
2. पूर्व में विशेष परिस्थितियों एवं लोकहित में नजूल भूमि का आवंटन/ हस्तानान्तरण मा0 मुख्यमंत्री जी के सहमति से मा0 मंत्रि परिषद के अनुमोदनोपरान्त राज्य सरकार के सेवा विभागों को नि:शुल्क तथा गैर सेवा विभागों तथा भारत सरकार के विभागों को नजूल भूमि प्रभावी जिलाधिकारी सर्किल रेट पर सशुल्क आवंटित/हस्तान्तरित किया गया है।
3. चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा रिट संख्या-13256/2021 (रिट-ए) विजय बहादुर व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.2021 के अनुपालन में दि जार्जिना मैकराबर्ट मेमोरियल हॉस्पिटल की 45000 वर्ग मी0 नजूल भूमि को पी0पी0पी0 के आधार पर मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल सथापित किये जाने हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर के पक्ष में नि:शुल्क हस्तान्तरित किए जाने का प्रस्ताव है।
4. यह हस्तान्तरण अपवादस्वरूप होगा तथा इसे भविष्य में दृष्टांत के रूप में नहीं माना जायेगा।

मद सं॰ 8

प्रेस-नोट

विषयः- डा0 सम्पूर्णानन्द स्पोर्ट्स स्टेडियम, सिगरा वाराणसी के संचालन, प्रबन्धन एवं रख-रखाव तथा ततसंबनधी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुबनध-पत्र (एम0ओ0यू0) के सम्बनध में।

उ0प्र0 खेल विभाग के स्वामित्व में स्थित डा0 सम्पूर्णानन्द स्पोर्ट्स स्टेडियम, सिगरा, वाराणसी में खेल अवसंरचनाओं (भवन, ढाँचे, खेल मैदान और अन्य सुविधाएँ) का निर्माण खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत किया गया है। उक्त के अतिरिक्त खेल अवसंरचनाओं तथा वहाँ पर राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना तथा संचालन का कार्य भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कराये जाने हेतु समझौता-ज्ञाप (एम0ओ0यू0) उपलब्ध कराया गया है।

डा0 सम्पूर्णानन्द स्पोर्ट्स स्टेडियम, सिगरा वाराणसी के एनेक्जर-ए में अंकित खेल अवस्थापनाओं को समझौता-ज्ञापन में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के आधार पर भारतीय खेल प्राधिकरण को दिये जाने के प्रस्ताव पर मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना होने से राष्ट्र के उभरते हुए खिलाडियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम भी होगा।

राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना होने से विभिन्न आयु वर्गों और खेल विधाओं में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान होगी और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु तैयार किया जा सकेगा।

खिलाडियों को प्रशिक्षण से भविष्य में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

सुहास एल0 वाई0
सचिव
खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

प्रेस-नोट

विषय:- 'उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली, 2022 के अंतर्गत सेवायोजित खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविर आदि में प्रतिभाग किये जाने की अवधि एवं आवागमन में लगने वाले समय सहित कर्तव्यार्थ व्यतीत अवधि (ड्यूटी) माने जाने जाने के संबंध में।

उ0प्र0 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 के अन्तर्गत सेवायोजित खिलाडियों द्वारा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण या खेल शिविरों में प्रतिभाग किये जाने को स्वीकृति देने तथा संगत अवधि सेवाकाल माने जाने के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि भर्ती/सेवा नियमावली में अवकाश संबंधी व्यवस्था नहीं रखी जाती है। इससे संबंधित खिलाडियों को अनुमति प्राप्त करने में समस्या होती है।

अतः उनके नियोक्ता/प्रशासकीय विभागों को उपरोक्त स्वीकृति प्रदान करने में कोई दुविधा न रहे, इसके दृष्टिगत सेवायोजित अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाडियों को केंद्र सरकार की भांति समुचित व्यवस्था कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से नियमावली, 2022 के अंतर्गत सेवायोजित खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविर आदि में प्रतिभाग किये जाने की अवधि एवं आवागमन में लगने वाले समय सहित कर्तव्यार्थ व्यतीत अवधि (ड्यूटी) माने जाने जाने के संबंध में व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव में कोई वित्तीय भार निहित नहीं है। उक्त व्यवस्था का क्रियान्वयन कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने की तिथि से माना जायेगा।

उक्त व्यवस्था के लागू होने से उ0प्र0 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 के अन्तर्गत सेवायोजित खिलाडियों द्वारा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण या खेल शिविरों में प्रतिभाग किये जाने हेतु अनुमति प्राप्त किये जाने में सुगमता होगी।

मद संख्या...॥

<u>प्रेस-नोट</u>

विषयः-जनपद अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण एवं संचालन कराये जाने के संबंध में।

भारत में घरेलू पर्यटकों एवं विदेशी पर्यटकों के आगमन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान है। अपनी गौरवशाली ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासतों तथा समृद्ध प्राकृतिक वनसम्पदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीम सम्भावनाएं विद्यमान हैं।

भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या वर्तमान में एक विश्वस्तरीय धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन गन्तव्य के रूप में विकसित हो रहा है। दिनांक 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपरान्त अयोध्या आने वाले पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व गुणात्मक वृद्धि हुई है, अब प्रतिदिन लगभग 2 से 4 लाख पर्यटक अयोध्या धाम आ रहे हैं। नई पीढ़ी के युवाओं, विदेशी पर्यटकों, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रूचि रखने वाले पर्यटकों को अयोध्या के प्रति आकर्षित करने हेतु आवश्यक पर्यटक उपादानों का अभी अभाव है।

टाटा सन्स प्रा0लि0 द्वारा भारतीय मंदिर स्थापत्य कला तथा भारतीय मंदिरों से सम्बन्धित सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत से लोगों को परिचित कराने एवं प्राचीन काल से चली आ रही मंदिरों की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परम्परा व दर्शन के संरक्षण हेतु अपने सी0एस0आर0 फण्ड से एक विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण एवं इसका सुचारू रूप से प्रबन्धन/संचालन करने हेतु अपनी इच्छा व्यक्त की गयी है। जिसमें यह प्रस्तावित किया गया कि उक्त कार्य हेतु एक गैर लाभकारी एस0पी0वी0 का गठन कम्पनी एक्ट 2013 की धारा 08 के अधीन किया जायेगा। उक्त संस्था में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे।

माननीय मंत्रि-परिषद् द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुपालन में जनपद अयोध्या स्थित तहसील सदर के ग्राम मांझा जमथरा की नजूल भूमि गाटा-57 मि0 जुमला क्षेत्रफल 25 एकड़ में टाटा ग्रुप के सहयोग से सी0एस0आर0 फण्ड के माध्यम से विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण एवं संचालन हेतु रू0 1/- वार्षिक धनराशि की दर पर भूमि 90 वर्ष के लिये दिये जाने हेतु संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं टाटा संस प्रा.लि. के मध्य त्रिपक्षीय एम0ओ0यू0 दिनांक 03 सितम्बर, 2024 को हस्ताक्षरित किया गया है। तदनुक्रम में ग्राम मांझा जमथरा परगना हवेली अवध तहसील सदर जनपद अयोध्या की राजकीय नजूल भूमि गाटा संख्या गाटा-57 मि0 व 1 मि0 क्षेत्रफल 25.00 एकड़ के अतिरिक्त 27.102 एकड़ कुल 52.102 एकड़ भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 से पर्यटन विभाग के पक्ष में किया जाना है।

उक्त संग्रहालय की स्थापना से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा व सरकार को राजस्व में प्राप्ति होगी।

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

प्रेस विज्ञप्ति   मद संख्या......14..........

विषयः- "उत्तर प्रदेश राज्य में अस्पतालों के विकास में निजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु सरकारी सहायता नीति" के सम्बन्ध में।

- प्रस्तावित नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी जनपदों में निजी क्षेत्र की सहभागिता से उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था निम्नवत विकसित करना है :-
    - सुपर-स्पेशलिटी सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि करना।
    - उत्तर प्रदेश में संचालित अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाना।
    - अस्पताल की आधारभूत संरचना में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

- **लागू मोड** - प्रस्तावित नीति तीन मॉडल (A, B एवं C) के अंतर्गत लागू होगी। **मोड A** के अंतर्गत झांसी नगर निगम को छोड़कर शेष 16 नगर निगमों की सीमा में पड़ने वाला पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र एवं जनपद गौतमबुद्ध नगर में कम से कम 200 बेड वाले अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। **मोड B** के अंतर्गत 58 जिला मुख्यालय क्षेत्रों में (मोड A को छोड़कर) कम से कम 200 बेड वाले अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। **मोड C** के अंतर्गत जनपद गौतमबुद्धनगर को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी 74 जिलों में जिला मुख्यालय के बाहर के क्षेत्र (मोड A और B को छोड़कर) कम से कम 100 बेड वाले अस्पताल स्थापित किए जाएंगे।

- मोड A के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की इकाई को स्टाम्प डियूटी की छूट, मोड B एवं मोड C में निजी क्षेत्र की इकाई को स्टाम्प डियूटी की छूट के साथ-साथ भूमि लागत पर भी अनुमन्य सब्सिडी प्रदान की जायेगी।
- देय लाभ तीनों मोड A, B एवं C में गीन फील्ड एवं ब्राउन फील्ड दोनों तरह की परियोजनाओं पर नीति लागू होने के बाद अनुमन्य होंगे।
- इस नीति से उत्तर प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण सुपर-स्पेशलिटी सेवाओं के प्रदान करने हेतु अस्पताल का विस्तार होगा और निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप जनता को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त होंगी।

- निजी क्षेत्र की संस्था को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना(PMJAY)/ मुख्य मंत्री जन आरोग्य अभियन (MM-JAA) या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत आबद्ध (इम्पैनल्ड) होना आवश्यक होगा। उक्त श्रेणी के लाभार्थियों को अनुमन्य सेवाओं का लाभ प्राप्त होगा।

मद संख्या- 16

प्रेस नोट

विषय :- प्रदेश के प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर 'जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र' (DDRC) की स्थापना एवं संचालन राज्य सरकार के संसाधनों से किये जाने के सम्बन्ध में।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों के हितार्थ उत्तर प्रदेश के 37 जनपदों में ही जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों (डी0डी0आर0सी0) का संचालन भारत सरकार के सहयोग से हो रहा है। जनपद-अम्बेडकर नगर में स्थापित एक डी0डी0आर0सी0 का संचालन एन0टी0पी0सी0 द्वारा वित्त पोषण कर किया जा रहा है। उक्त 37 में से 11 केन्द्र मण्डल मुख्यालय पर संचालित हैं। उक्त केन्द्रों को भारत सरकार से नियमित अनुदान प्राप्त न होने तथा विशेषज्ञ कर्मचारियों हेतु मानदेय की दरें कम होने के कारण उनका संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है।

2- मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 13.10.2025 को विभागीय कार्ययोजना के प्रस्तुतीकरण से सहमत होते हुये प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर अर्थात् कुल 18 जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों (DDRCs) की स्थापना एवं संचालन राज्य सरकार के संसाधनों से किये जाने के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही नियमानुसार किये जाने के निर्देश दिये गये।

3- प्रदेश के प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों (DDRCs) की स्थापना एवं संचालन राज्य सरकार के संसाधनों से किये जाने से दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण एवं चिह्नांकन, दिव्यांग शिविरों का आयोजन, सहायक उपकरणों की मरम्मत, कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण हेतु चिह्नांकन/फिटमेंट, चाल/उपयोग प्रशिक्षण/निर्माण एवं वितरण, दिव्यांगता की रोकथाम हेतु जागरूकता, प्रारम्भिक पहचान और सक्रिय हस्तक्षेप, सरकारी योजनाओं का सुगमतापूर्वक लाभ प्राप्त करने में सहायता, दिव्यांग व्यक्तियों के लिये दिव्यांग प्रमाण-पत्र, यू0डी0आई0डी0 कार्ड जारी करने में सहायता तथा नैदानिक सेवायें, यथा-परामर्श, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी आदि प्रदान किया जा सकेगा।

मद संख्या......20......

प्रेस नोट

विषयः- जनपद चन्दौली में चन्दौली सकलडीहा सैदपुर मार्ग (राज्य मार्ग-69) के चैनेज-0.000 से चैनेज 29.670 तक 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (लम्बाई 29.672 कि0मी0) कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

जनपद चन्दौली में चन्दौली सकलडीहा सैदपुर मार्ग (राज्य मार्ग-69) के चैनेज-0.000 से चैनेज 29.670 तक 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (लम्बाई 29.672 कि0मी0) की सम्पूर्ण परियोजना एवं व्यय-वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 49147.24 लाख (रूपये चार अरब इक्यानबे करोड़ सैतालिस लाख चौबीस हजार मात्र) के व्यय के प्रस्ताव पर मा0 मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

जनपद चन्दौली में चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-69) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19/एशिया हाईवे संख्या-1 से प्रारम्भ होकर चन्दौली-सकलडीहा-चहनियां-सैदपुर होते हुए जनपद चन्दौली से जनपद गाजीपुर को जोड़ने वाला अति महत्वपूर्ण मार्ग है। यह मार्ग जनपद गाजीपुर/जौनपुर/आजमढ़/बलिया जाने के लिए वाराणसी शहर के बाईपास के रूप में उपयोग होता है। प्रश्नगत मार्ग का 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हो जाने से यातायात सुगम एवं क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा।

मद संख्या--21-----------

प्रेस-नोट

विषयः-जनपद बागपत के ग्राम-हरिया खेड़ा, तहसील-बागपत स्थित 70.885 हेक्टेयर भूमि पर एक अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0 मोड) के माध्यम से विकसित, संचालित एवं अनुरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

- वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व में समग्र स्वास्थ्य आरोग्य पर्यटन (वेलनेस टूरिज्म) के अन्तर्गत शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियो के माध्यम से स्वास्थ्य एवं आरोग्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जाने वाली यात्राएं आती हैं। वेलनेस टूरिज्म का उद्देश्य तनाव के स्तर को नियंत्रित करना और स्वस्थ जीवन-शैली को बढ़ावा देना है।
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के प्रति आम जनमानस में काफी रूचि उत्पन्न हुई है तथा योग की महत्ता विश्व भर में बढ़ी है। पूरे विश्व में 21 जून अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- योग एवं वेलनेस को जोड़ते हुए वेलनेस पर्यटन भारतीय पर्यटकों के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेगा। भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं उत्तराखण्ड़ में वेलनेस पर्यटन के अनेक केन्द्र स्थापित हैं, जहाँ पर अत्यधिक संख्या में भारतीय एवं विदेशी पर्यटक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने तथा योग अभ्यास हेतु आते हैं। उत्तर प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का योग एवं आरोग्य केन्द्र स्थापित होने से आरोग्य पर्यटन में रूचि लेने वाले भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकेगा।
- कोविड-19 के पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर योग एवं वेलनेस टूरिज्म के प्रति पर्यटकों तथा भारतीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नागरिकों में काफी जागरूकता बढ़ी है। कोयंबटूर और केरल में योग एवं वेलनेस टूरिज्म केन्द्रों पर प्रति वर्ष लाखों की संख्या में भारतीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन होता है।
- योग एवं वेलनेस टूरिज्म के क्षेत्र में तमिलनाडु-चेन्नई तथा कोयंबटूर- केरल का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ वेलनेस टूरिज्म के अन्तर्गत देश एवं विदेश से काफी संख्या में पर्यटक मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य लाभ हेतु आते हैं।
- जनपद बागपत स्थित पुरामहादेव में अन्तर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र के संचालित होने पर मानसिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के साथ-साथ योग विज्ञान से परिचित होंगे। अन्तर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना होने पर दुनियाभर से पर्यटकों एवं योग के प्रति उत्साही लोगों को आकर्षित करेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर काफी संख्या में रोजगार का सृजन एवं व्यवसायी गतिविधियां बढ़ेगी तथा प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ वन ट्रिलियन इकोनमी के लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होगा।

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव